



दिनांक 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बिहारीगढ व सर्विलांस सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा स्टोन क्रेशर में हुई डकैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर डकैत/अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तगण के कब्जे से लूट का सामान व मोबाइल फोन बरामद**

**बरामदगी का विवरण-**

- 02 मोबाइल फोन
- 01 बैटरा (एमरोन कम्पनी का)
- 01 चेन्जओवर का सामान,
- 02 स्टार्टर के अन्दर का सामान,
- 10 किलो ताँबे का तार
- 03 गोल पन्ने छोटे बडे,
- 05 ताली छोटी बडी,
- 01 हथोडा,
- 01 पेचकश,
- 01 तार कटर,
- 01 PINCOR PILIER,
- 01 नट क्रैकर

अवगत कराना है कि दिनांक 15.12.2024 को वादी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत दिनांक 13/14.12.2024 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को बन्धक बनाकर श्रीराम स्टोन क्रेशर से स्टार्टर, चेन्जओवर में से ताँबे का सामान व इन्वर्टर बैटरा एवं वादी का सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन लूट ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 164/2024 धारा 309(4) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु प्रभारी निरीक्षक बिहारीगढ को आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में नकबजनी/लूट/चोरी आदि घटनाओं की रोकथाम व नकबजन/शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में स्टोन क्रेशर में डकैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर डकैत/अभियुक्त 1. शावेज पुत्र मतलूब निवासी मोहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना मंगलौर हरिद्वार उत्तराखण्ड, 2. शहबान पुत्र अशाफाक निवासी ग्राम तेलपुरा थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड व 3. उस्मान पुत्र सलीम अंधा निवासी मोहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना मंगलौर हरिद्वार उत्तराखण्ड को शिवालिक को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 बैटरा (एमरोन कम्पनी का), 01 चेन्जओवर का सामान, 02 स्टार्टर के अन्दर का सामान, ताँबे का तार 10 किलो, 03 गोल पन्ने छोटे बडे, 05 ताली छोटी बडी, 01 हथोडा, 01 पेचकश, 01

तार कटर, 01 PINCOR PILIER, 01 नट क्रेकर बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में लूट की धारा 309(4) का विलोप कर डकैती की धारा 310(2), 317(3) बीएनएस वृद्धि की गयी । अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**विवरण पूछताछ:-** अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग कम पढे लिखे हैं, मेहनत मजदूरी करने से हम लोगो के शौक पूरे नही होते, जिस कारण जल्दी और ज्यादा पैसों के लालच में हम लोगो ने एक गैंग बना रखा है जिसमें हम लोगो के अलावा 02 अन्य साथी और भी है, हम लोग बन्द पडे स्टोन क्रेशर व फैक्ट्रियों की दिन में रैकी करते हैं और रात में चौकीदार या जो भी वहाँ की निगरानी करते है उनको बन्धक बनाकर सामान को लूट लेते हैं, घटना के बारे में पूछने पर बताया कि दिनांक 13/14.12.2024 की रात्रि में हम व हमारे 02 अन्य साथियो के साथ ग्राम सुन्दरपुर में बन्द पडे स्टोन क्रेशर पर चौकीदार को बन्धक बनाकर लूट के दौरान उस्मान स्टोन क्रेशर के बाहर खडे होकर निगरानी कर रहा था । तथा पिछले महीने 01/02 नवंबर की रात्रि को हम ने मिलकर बुग्गावाला मे मुजाहिदपुर गांव के पास प्लास्टिक की फैक्ट्री मे लगे बिजली के अलग अलग मोटाई के चार पांच प्रकार के तार काट कर चोरी किए थे उक्त फैक्टरी घने जंगल में होने के कारण हम सबने फिर से दिनांक 01/12/2024 की रात्रि में उसी फैक्टरी में चोरी करने की कोशिश की थी किंतु वहाँ चौकीदार के जागने व उसके शोर मचाने के कारण हम लोग वहा से भाग गए थे ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

1. उस्मान पुत्र सलीम अंधा नि0 मोहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना मंगलौर हरिद्वार उत्तराखण्ड,
2. शावेज पुत्र मतलूब नि0 मोहल्ला पठानपुरा कस्बा व थाना मंगलौर हरिद्वार उत्तराखण्ड
3. शहबान पुत्र अशफाक नि0 ग्राम तेलपुरा थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

### **बरामदगी का विवरण:-**

01 बैटरा (एमरोन कम्पनी का), 01 चेन्जओवर का सामान, 02 स्टार्टर के अन्दर का सामान, 10 ताँबे का तार 10 किलो, 03 गोल पन्ने छोटे बडे, 05 ताली छोटी बडी, 01 हथोडा, 01 पेचकश, 01 तार कटर, 01 PINCER PILIER व 01 नट क्रेकर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री सुखवीर सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
4. उ0नि0 श्री विनोद कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम
5. है0का0 1025 रविन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
6. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
7. का0 1557 गौरव पंवार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
8. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को 11 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मदाक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अमित उर्फ जोनी पुत्र अनिल निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को 11 ग्राम अवैध स्मैक सहित विक्की वालिया की फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 281/24 धारा 8/21 एनडीपीएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पुछताछ का विवरण:** – अभियुक्त अमित उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं अवैध स्मैक की खरीद फरोख्त का धंधा करता हूँ गागलहेडी थाना क्षेत्र और जनपद सहारनपुर के आस- पास के क्षेत्रों में तथा ट्रक ड्राइवरो/होटल ढाबो व गांव में स्मैक पीने वाले व्यक्तियों को अच्छे दामों पर स्मैक बेचने का काम करता हूँ जिससे मुझे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आज भी मैं नशीला सामान बेचने निकला था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

अमित उर्फ जोनी पुत्र अनिल नि 0ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी)

**आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0स0 231/2019 धारा 60 आवकारी अधिनियम 272/273 भादवि थाना गागलहेडी स0पुर
2. मु0अ0स0 382/20 धारा 60 आवकारी अधिनियम थाना गागलहेडी स0पुर
3. मु0अ0स0 281/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी स0पुर

**बरामदगी का विवरण**

11 ग्राम अवैध स्मैक

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. है0का0 38 सुरेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी स0पुर
3. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी स0पुर



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त मौ० साजिद पुत्र हाजी नजीर निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं० 6111/23 (श्रीमान अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय संख्या 1 मुजफ्फरनगर) में ग्राम गन्देवडा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

मौ० साजिद पुत्र हाजी नजीर निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ०नि० श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. है०का० 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक -25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के मामलों में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 19.12.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. क्रिश उर्फ मोहित पुत्र पवन कुमार, 2. अक्षय कुमार पुत्र मदनलाल व 3. सन्नी पुत्र बिरमपाल निवासीगण ग्राम कलरी थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 379/24 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में दिनांक 24.12.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त मोहित उर्फ क्रिश पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा सहारनपुर** को विकास नगर देहरादून से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में पीडिता बयान के आधार पर धारा 180 बीएनएसएस के तहत अभियुक्त क्रिश उपरोक्त के विरुद्ध धारा 64(1) बीएनएस व 5एल/6 पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

मोहित उर्फ क्रिश पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम कलरी थाना सरसावा सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 2249 काशीराम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. म0का0 825 वकीला थाना सरसावा सहारनपुर



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.12.24 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त रोहित पुत्र रामकुमार निवासी नवीननगर थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिक पुत्री के साथ गलत काम करने की सूचना के सम्बन्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 732/24 धारा 65(1)बी0एन0एस0 व 3/4 पोक्सो अधिनियम के पजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार को आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र रामकुमार निवासी नवीननगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को नवीननगर स्थित मकान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

रोहित पुत्र रामकुमार निवासी नवीननगर थाना सदर बाजार सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

घटना में प्रयुक्त मो0सा0 (यू0पी0 11 सी0वी0 6353)

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 173 रोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 विनयकुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा गौकशी की घटना में वांछित 02 शातिर गौकश

अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर गौकशी के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.12.2024 को वादी श्री बिट्टू पुत्र पालेराम निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अकदाम पुत्र अशरफ उर्फ ढप्पू निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के ईंख के खेत में गौकशी की सूचना के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 484/24 धारा 351(3) बीएनएस व 3/5/8(1) गोवध अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम के पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान को आदेश-निर्देश दिए गये थे। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गौकशी की घटना कारित करने वाले 02 शातिर गौकश/अभियुक्त 1.अकदाम पुत्र अशरफ उर्फ ढप्पू निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर व 2. यूसुफ पुत्र अख्तर निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर को शामली से सहारनपुर बाईपास पर राज नर्सरी से पहले बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/निशानदेही पर गौकशी के उपकरण बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ:-** अभियुक्तगण ने पूछताछ पर एक साथ बताया कि दिनांक 23.12.2024 को शाम करीब 04 बजे हम दोनो व हमारा भाई मोमीन (जिसको कल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है), बिट्टू के ईंख के खेत में एक बछड़े को काट रहे थे कि अचानक बिट्टू वहाँ आ गया और चिल्लाने लगा कि गाय काट दी गाय काट दी फिर एक आदमी और आ गया था तो हम तीनों ही लोग बिट्टू को जान से मारने की धमकी देकर छुरा दिखाकर वहाँ से भाग गये, वह डर गया था और हम लोग फिर बुड्ढा खेडा जंगल की ओर को भाग गये थे। उसी दिन से हम जंगल में छुपते फिर रहे हैं। आज सहारनपुर जाने के लिए वाहन का इन्तजार कर रहे थे।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. अकदाम पुत्र अशरफ उर्फ ढप्पू निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
2. यूसुफ पुत्र अख्तर निवासी ग्राम अहमदपुर थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण:-**

- 03 छुरी
- 01 कुल्हाड़ी
- छुरी में धार लगाने का सुम्भा

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
3. का0 1617 योगेश कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
4. का0 2503 राहुल कुमार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर
5. हो0गा0 1528 निरंकार थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया**

**गिरफ्तार, कब्जे से कुल 240 ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त नवेद पुत्र यासीन निवासी इन्द्रा चौक गली नं0 4 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को इन्द्रा चौक गली नं0 4 से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 240 ग्राम अवैध चरस बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 490/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं नशे का आदी हूँ और यह नशीला सामान खुद तैयार करके लेकर आया हूँ, चरस बेचकर मैं अच्छे पैसे कमा लेता हूँ जिससे मेरी नशे की जरूरत पूरी हो जाती है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

नवेद पुत्र यासीन निवासी इन्द्रा चौक गली नं0 4 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण –**

➤ 240 ग्राम चरस

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. कां0 2367 योगेश कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब (मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का) बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24/12/2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आरिफ पुत्र जान मौहम्मद नि० ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिला सहारनपुर को गंगोह चौसाना रोड के.एस. डिग्री कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरादगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु०अ०सं०-555/24 धारा 60/63 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त से पूछने पर बताया कि वह मजदूरी का कार्य करता है तथा नशे का आदी है तथा अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में देशी शराब खरीदकर अपने आस-पास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेचकर काफी लाभ कमा लेता हूँ।

**बरामदगी का विवरण:-**

12 बोतल अवैध शराब (मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का)

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

आरिफ पुत्र जान मौहम्मद नि० ग्राम नया कुण्डा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- उ०नि० श्री विजय कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- है०कां० 472 जितेन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- हे०का० 1037 विराट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- कां० 2521 राजेश थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 11 बोतल अवैध**

**देशी शराब बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व मादक पदार्थों की तस्करी व इसमें सलिस अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25/12/2024 को गस्त / चैकिंग के दौरान **अभियुक्त प्रवीण पुत्र नहार सिंह नि0 ग्राम दूधला थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को ग्राम बीनपुर गेट से ग्राम जेहरा जाने वाले खड़जे पर करीब 20 कदम आगे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे 11 बोतल अवैध देशी शराब मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का बरामद। अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0-556/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** गिरफ्तार अभियुक्त से पूछने पर बताया कि वह पहले रेहड़ी लगाता था तथा पैसों के लालच में पिछले कुछ दिनों से हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में देशी शराब खरीदकर अपने आस-पास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेचकर काफी लाभ कमा लेता है

**बरामदगी का विवरण**

➤ 11 बोतल अवैध देशी शराब (मस्ती माल्टा हरियाणा मार्का)

**गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता:-**

प्रवीण पुत्र नहार सिंह नि0 ग्राम दूधला कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री विजय कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 472 जितेन्द्र थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 1037 विराट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 2521 राजेश थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया**  
**गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग मामलों में 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. कुलदीप पुत्र शिव चरण निवासी ग्राम शरबतपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर को सम्बन्धित मु0अ0स0 258/17 धारा 135 एनआई एक्ट थाना गागलहेडी व 2. गय्यूर पुत्र ईसराना नि0ग्राम मक्काबास थाना गागलहेडी सहारनपुर को सम्बन्धित परिवाद 12779/2022 धारा 138 एनआई एक्ट थाना गागलहेडी को थाना गागलहेडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तग को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. गय्यूर पुत्र ईसराना नि0 ग्राम मक्काबास थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. कुलदीप पुत्र शिवचरण नि0 ग्राम शरबतपुर थाना गागलहेडी सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।
3. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी सहारनपुर।
4. हो0गा0 1301 अशोक कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ट्यूबेल से समान चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 2 किलो तांबे का तार व बिजली की मोटर खोलने के औजार (पिलास, पेचकस, हथोड़ी, चाबी) बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 10.11.2024 को वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र सुभा सिंह निवासी ग्राम भायला कलां थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरार बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की ट्यूबवैल से बिजली का मोटर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0 624/2024 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व चोर/शातिर अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2024 को तलाश व चैकिंग के दौरान थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त तथा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 700/24 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 659/24 धारा 303(2) बीएनएस में टयबेल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त आकाश पुत्र रणवीर निवासी ग्राम भायला कला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर को खजुरी/कुरडी मोड से आगे भायला रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 2 किलो तांबे का तार व बिजली की मोटर खोलने के औजार पिलास, पेचकस, हथोड़ी, चाबी बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्तों में धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि बताया कि मैं तथा मेरा दोस्त मिलकर रात्रि में किसानों की ट्यूबवैल से बिजली मोटर का तांबे का तार चोरी कर लेते हैं हम दोनों ने दिनांक 20/21.12.2024 की रात्रि में ग्राम बढेडी मजबता के जंगल से 05 ट्यूबवैलों में, व दिनांक 10.11.2024 की रात्रि में ग्राम भायला कला के जंगल से 02 ट्यूबवैलों में व दिनांक 29.11.2024 की रात्रि में ग्राम साधारणपुर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर के जंगल में 06 ट्यूबवैलो से बिजली मोटर उखाड़कर उनके तार चोरी किये थे ग्राम साधारणपुर की ट्यूबवैलों से जो तार हमने चोरी किये थे अभी कुछ रोज पहले ही वह तार हम दोनों ने चलते फिरते कबाडी को 5000 रुपये में बेच दिये थे। तथा ग्राम भायला कलां व ग्राम बढेडी मजबता से जो मोटर तार चोरी किया था उसका आधा तार मेरे दोस्त के पास है तथा जो तार आपने मुझसे पकड़ा है यह मेरे हिस्से का है

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

आकाश पुत्र रणवीर निवासी ग्राम भायला कला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

- 2 किलो तांबे का तार
- बिजली की मोटर खोलने के औजार (पिलास, पेचकस, हथोड़ी, चाबी आदि)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री के0पी0 सिंह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित यादव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. है0का0 274 रवि कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. है0का0 22 विनोद कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर



दिनांक: 25.12.2024

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बडगाँव पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **महकार पुत्र मुनसैद निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 981/24 , मु0अ0स0 398/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कोतवाली नगर को माननीय न्यायालय श्रीमान ए0सी0जे0एम0 तृतीय सहारनपुर के आदेश के क्रम में ग्राम नूनाबडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

महकार पुत्र मुनसैद निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 92/22 धारा 188 भादवि थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 204/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 1127/17 धारा 3/5/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 1128/17 धारा 102/41 सीआरपीसी व 414/420/468 भादवि थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 181/21 धारा 363/366 भादिव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 560/2011 धारा 307/398/401 थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 561/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 02/2006 धारा 498ए/323 भादवि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 398/03 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।
2. का0 2545 सोनू कुमार थाना बडगाँव जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-25.12.2024

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त 1. सहदेव पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 5414/2024 अ0स0 164/08 धारा 4/25 आर्स एक्ट, 2. अक्षय पुत्र सतपाल निवासी ग्राम जगहेतानजीब थाना सरसावा जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 2534/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 3. गफफार पुत्र आमा निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 4583/2024 अ0स0 258/2013 धारा 60/72 आबकारी अधि0 को थाना सरसावा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सहदेव पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. अक्षय पुत्र सतपाल निवासी ग्राम जगहेतानजीब थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. गफफार पुत्र आमा निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
3. है0का0 661 सम्राट सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
4. है0का0 361 मनोज थाना सरसावा सहारनपुर।
5. का0 2504 रवि कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।